25-5-15

## राजस्थान सरकार

स्वायत शासन विभाग, राज. जयपुर

क्रमांकः प.10(क)(ग्रामं पंचायत)(गठन)( ) श्रेणी / स्वा०शा०वि / 16 / 1444

दिनांकः 11/5/17

## अधिसूचना

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप धारा (8) के खण्ड (ग) तथा सपिटत धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए ग्रांम पंचायत खाटूश्यामजी के सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र को एतद्द्वारा नगर पालिका खाटूश्यामजी (चतुर्थ श्रेणी) के रूप में घोषित किया जाता है तथा ऐसी घोषणा किये जाने की तारीख से सरपंच व उप-सरपंच को कमशः अध्यक्ष व उपाध्यक्ष तथा निर्वाचित ग्राम पंचायत सदस्यों को सदस्य नगर पालिका खाटूश्यामजी के रूप में घोषित किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पवन अरोडा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांकः प.10(क)( ् ्रें(क्रि)/स्वा०शा०वि/16/1445-1495 दिनांकः 11/5/18 प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मा० मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।

- 2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग / पंचायत राज विभाग, राज.जयपुर।
- 3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज., जयपुर।
- 4. निजी सचिव, राज्य वित्त आयोग, राज., जयपुर।
- 5. निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर।
- 6. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज., जयपुर।
- 7. आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, सचिवालय, जयपुर ।
- निदेशक, जनगणना विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 9. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 10. संभागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान, जयपुर।
- 11. जिला कलक्टर, सीकर ।
- 12. मुख्य नगर नियोजक,नगर नियोजन विभाग,राज. जयपुर ।
- 13. निदेशक / अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज., जयपुर को भेजकर लेख है कि राज. राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशन कराया जाकर विभाग को 50 प्रति भिजवाने का श्रम करें ।
- 14. समस्त अधिकारीगण एवं अनुभाग, निदेशालय।
- 15: उपनिदेशक (क्षेत्रीय)स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान, जयपुर।
- 16. सरपंच / सचिव, ग्राम पंचायत खाटूश्यामजी जिला सीकर ।
- 17. नोडल अधिकारी, वेबसाईड, निदेशालय को वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।

18. सुरक्षित पत्रावली

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

NICEN I

275/18 SH H2b